

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 146 / 2014

दर्ज दिनांक:-27.11.2014

1. मांगे पता- .....प्रार्थी

बनाम

2. रमेशसिंह पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

गजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक



निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांक:-21.03.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी व उनके अभिभाषक को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

